

अंचल कार्यालय, महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या-102/16-17

(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 (आखण्ड में अंगीकृत) धारा-4 (H) के अन्तर्गत)

अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश	
	इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, आखण्ड सरकार के पत्रांक 04/रा0भू0 (दिशा निर्देश)-95/2016, 2074/रा0 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग आखण्ड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहता के संसृजित आदेश जापांक 479/रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनावादी खातान्तगत गैर मजरुआ आम/खारस भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जांव सदगित प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि मौजा-लखीपुर थाना संख्या-274 खाता संख्या-153 दाग संख्या-671 कुल रकबा-06 बीघा 00 कट्ठा 00 धूर भूमि विगत सर्वे खतियाना में किरम-साल जंगल है एवं मौजा-लखीपुर के राजस्व पंजी-II में मुन्नी देवी दीगर के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के जमाबंदी कायम है एवं लोकहित एवं सरकार के हित में कायम जमाबंदी विलोपन एवं सरकार में सन्निहित करने की अनुशंसा की गई है। इस कार्यालय के पत्रांक 514/रा0 दिनांक 13.07.2013 से निर्गत नोटिश, जो अभिलेखवद्ध है, के प्रत्युत्तर में कोई भी वैध राजस्व दरतावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत कायम जमाबंदी भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एवं सरकारी भूमि को हड़पने के प्रयास के तहत कायम की गई है। अतः मौजा-लखीपुर थाना संख्या-274 खाता संख्या-153 दाग संख्या-671 कुल रकबा-06 बीघा 00 कट्ठा 00 धूर भूमि विगत-सर्वे खतियाना में किरम-साल जंगल का विपक्षी-सह- पंजी-II रैयत मुन्नी देवी दीगर, ग्राम-लखीपुर के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के राजस्व पंजी-II में कायम जमाबंदी विलोपन की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कार्यवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहता, पाकुड़ को भेजे।	
	अंचल अधिकारी महेशपुर	अंचल अधिकारी महेशपुर